न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या–432/2026
साइबर थाना अररिया, कांड संख्या –23/26

सफिउल्लाह .....आवेदक
बनाम
बिहार राज्य

उपस्थिति :–
वास्ते आवेदक :– श्री कृष्ण मोहन सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :– श्री छंगुरी मंडल, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

आदेश

06.07.2026 दिनांक 15.05.2026 से काराधीन आवेदक/अभियुक्त सफिउल्लाह पिता–सहाबुद्दीन, साकिन–फतेहपुर, वार्ड नं0 06, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया की ओर से साइबर थाना अररिया, कांड संख्या–23/26 अन्तर्गत धारा–318(4), 319(2), 336, 337, 338, 340, 342 बी.एन.एस 66(सी), 66(डी) आई.टी. एक्ट एवं 36, 38, 42 आधार एक्ट के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया, जिसकी एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी जा चुकी है। जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि, सूचक कुंदन कुमार, साईबर थाना अररिया में पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित थे, जिन्हें दिनांक 30.04.2026 को ccsu (cyber crime unit) पटना से गुप्त सुचना प्राप्त हुई कि सुपौल साईबर पुलिस थाना के अंतर्गत पंजीकृत कांड सं0–23/26 में जांच के क्रम में पता चला कि babartps.xyz नामक अवैध वेबसाइट का उपयोग कर विभिन्न स्थानों पर फर्जी ढंग से आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड तथा अन्य सरकारी दस्तावेज बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसी अवैध गतिविधि में अररिया जिले के कुछ व्यक्ति भी शामिल हैं। उसके उपरांत आदेशानुसार जांच हेतु पु0अ0नि0 सरोज कुमार एवं बल के साथ सूचक ने प्रस्थान किया। अभियुक्त के घर पहुंचने पर अभियुक्त को अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सफिउल्लाह पे0–सहाबुद्दीन, साकिन– फतेहपुर, वार्ड नं0 06, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया बताया। उसने बताया कि प्रतापनगर वार्ड नं0 10 थाना–छातापुर, जिला–सुपौल में उसका आईशा ट्रेवल्स नामक एक दुकान है जिसपर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र एवं एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खोला जाता है। तत्पश्चात घर की तलाशी लिया जहां एक लैपटॉप, एक आइरिश स्केनर, एक फिंगर प्रिंट स्केनर, एक वेब कैमरा और जन्म प्रमाण पत्र एवं आवास प्रमाण पत्र मिले जिस पर babartps.xyz फर्जी आई0डी0 अंकित है। साथ हीं आधार कार्ड बनाने संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए जिन दस्तावेजों पर एनरॉलमेंट ऑपरेटर का नाम साईनाथ कृष्णा करमरे एवं register and enrollment agency: directorate of EDCS AND LOCATION ID: 01550.42,07430.34 अंकित है। जांचोपरांत अभियुक्त को साथ लेकर सूचक आईशा ट्रेवल्स दुकान पर पहूंचा जहां की तलाशी लेने पर उसके दुकान में एक सी0पी0यू0 मिला। प्राप्त दस्तावेजों, लैपटॉप, सी0पी0यू0 एवं मोबाइल को जांच हेतु एवं अभियुक्त को पूछताछ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचक अपने साथ थाना पर लेकर आए। जांचोपरांत पाया कि अभियुक्त babartps.xyz फर्जी अवैध वैबसाइट पर लॉगिन एक्सिस लेकर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड इत्यादि फर्जी तरीके से आमजनों के नाम पते से सरकारी दस्तावेज तैयार करते हैं। इन फर्जी दस्तावेजों से बैंक खाता खुलवाने, सरकारी सुविधाओं का अनाधिकृत लाभ उठाने तथा साइबर ठगी को अंजाम देने का काम किया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र के QR CODE को स्कैन करने पर पता चला कि किसी अन्य

लगातार.....

लगातार **जमानत आवेदन पत्र संख्या–432/2026**

06.07.2026 व्यक्ति के प्रमाणपत्र को एडिट कर दूसरे किसी अन्य व्यक्ति का फर्जी प्रमाणपत्र बनाया गया है। साथ हीं अभियुक्त के लैपटॉप एवं मोबाइल में भी फर्जी आई0डी0 एवं दस्तावेज मिला।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय या पटना उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अन्य अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप पुरी तरह से झुठे, बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण हैं। पुलिस ने बिना किसी संलिप्तता के आवेदक को उसके घर से गिरफ्तार किया। प्राथमिकी में पुलिस द्वारा किए गए दावों के विपरीत, आवेदक के घर या दुकान से कुछ भी बरामद या जब्त नही हुआ है। 14.05.2026 को साइबर पुलिस स्टेशन में जब्ती सूची तैयारकी गई सूची में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, गवाह केवल पुलिस है। जब्ती सूची की कोई प्रति आवेदक को नही दी गई और ना हीं उस पर उसका हस्ताक्षर लिया गया। तलाशी के पहले पुलिस टीम ने किसी अन्य व्यक्ति को अपनी तलाशी नही दी थी। किसी स्वतंत्र गवाह का ना होना यह साबित करता है कि वहां से कुछ भी जब्त नही किया गया था। प्राथमिकी में आवेदक के घर पहूंचने का समय और दिन का कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। 14.05.2026 को साइबर अररिया थाने में आवेदक का कथित स्वीकारोक्ति बयान पुलिस द्वारा जबरन तैयार किया गया, जिस पर जबरन उससे हस्ताक्षर कराया गया। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि, आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा उसपर प्राथमिकी के अनुसार अवैध वेबसाइट का प्रयोग करते हुए सरकारी दस्तावेजों का फर्जी प्रमाणपत्र बनाने एवं साइबर ठगी का आरोप है। कांड दैनिकी के पैरा 03 में जब्ती सूची वर्णित है जिसमें लैपटॉप, सी0पी0यू0, आइरिश स्कैनर, फिंगर प्रिंट स्कैनर, वेब कैमरा, फर्जी निवास, आय, जन्म, आधार का प्रमाणपत्र एवं काले रंग का सैमसंग मोबाइल शामिल है। कांड दैनिकी के पैरा 04 में पु0अ0नि0 कुंदन कुमार का बयान, पैरा 05 में साक्षी पु0नि0 नितेश कुमार का बयान, पैरा 06 में साक्षी पु0अ0नि0 सरोज कुमार का बयान, पैरा 07 में साक्षी गृहरक्षक अनमोल कुमार का बयान वर्णित है, जो घटना एवं प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन करते हैं। कांड दैनिकी के पैरा 08 में घटनास्थल, पैरा 21 में पर्यवेक्षण टिप्पणी वर्णित है। आवेदक/अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान अभिलेख में संलग्न है, जिसमें उसके द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार किया गया है। उक्त मामले में अनुसंधान अभी जारी है।

अतः मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय आवेदक/अभियुक्त सफिउल्लाह पिता–सहाबुद्दीन को जमानत की सुविधा प्रदान करना विधिसंगत नहीं समझता है, तद्नुसार आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 01.06.2026 **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)
Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
अररिया।